पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 जुलाई, 2018 ई0 (आषाढ़ 23, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

18 जून, 2018 ई0

सं0 UERC/F(9)-II/RG/UERC/2018/421--विद्युत अधिनियम, 2003 (36 का 2003) की धारा 39, 40, 42 और 86 के साथ पठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सक्षमधारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा, उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 (प्रधान विनियम) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्णय

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2018 होगा।

(2) ये विनियम दिनांक 01.04.2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रधान विनियम के विनियम 22 में संशोधनोपरान्त निम्नवत् पढ़ा जाएगा :

22. प्रति–सहायिकी अधिभार

(1) यदि किसी उपभोक्ता द्वारा उन्मुक्त अभिगमन सुविधा का लाभ उठाया जाता है, तो ऐसे उपभोक्ता, पारेषण और / या व्हीलिंग प्रभारों के अलावा, आयोग द्वारा निर्धारित प्रति–सहायिकी अधिभार का भुगतान किया जायेगा। प्रति यूनिट आधार पर अवधारित प्रति–सहायिकी अधिभार, उन्मुक्त अभिगमन द्वारा माह के दौरान निकासी की गई वास्तविक ऊर्जा के आधार पर ऐसे उपभोक्ता द्वारा प्रति माह देय होगा। अधिभार की राशि का भुगतान वितरण अनुज्ञापी को दिया जायेगा।

(2) जो उपभोक्ता अनुज्ञापी के पारेषण और/या वितरण प्रणाली में शामिल हुए बिना भी, समर्पित लाईनों के माध्यम से उन्मुक्त अभिगमन का लाभ उठा रहे हैं, वे इस विनियम के तहत निर्धारित अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली पर विशेष रूप से उन्मुक्त अभिगमन का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी इस विनियम के तहत निर्धारित अधिभार का भुगतान करना होगा।

परन्तु वितरण अनुज्ञापी द्वारा की गई पावर–कट की अवधि में, उन्मुक्त अभिगमन द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा निकासी की गई ऊर्जा पर कोई प्रति–सहायिकी अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

आगे यह भी कि यह अधिभार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं लगाया जायेगा जिसने अपने स्वयं के उपयोग के गंतव्य तक विद्युत ले जाने के लिए कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया हो।

परन्तु यह भी कि यदि उन्मुक्त अभिगमन चाहने वाले ऐसे उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति की स्थिति या भार में कोई अधिक परिवर्तन आता है तो आयोग जैसे और जब आवश्यक हो प्रति–सहायिकी अधिभार की समीक्षा कर सकता है।

(4) ऐसे उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं के लिए प्रति–सहायिकी अधिभार निम्नलिखित के अनुसार अवधारित किये जायेंगे :

अधिभार फॉर्मूला : एस = टी – सी

जहाँ,

एस – प्रति–सहायिकी अधिभार है;

टी – ऐसे उपभोक्ताओं की सुसंगत श्रेणी द्वारा देय खुदरा शुल्क है;

सी – वितरण अनुज्ञापी की आपूर्ति की औसत लागत है।

आयोग के आदेश से

नीरज सती,

सचिव।